पत्रांक - सेरी0/लेखा/आयो0 बजट/2017-18

रेशम निदेशालय, उत्तर प्रदेश

एल0डी0ए0 कामर्शियल काम्पलेक्स, प्रथमतल,
विश्वासखण्ड - 3 गोमतीनगर - लखनऊ।
दिनांक::लखनऊ::२८ अगस्त, 2017

आहरण वितरण अधिकारी
मुख्यालय लखनऊ।

रेशम विकास अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-8/2017/156/74-2-2016-11(ब)/2017 दिनांक 27 अप्रैल, 2017 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु अनुदान सं0-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्व विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के लेखाशीर्षक 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय-रेशम निदेशालय हेतु कुल प्रावधानित धनराशि रू0 2421.89 लाख के सापेक्ष प्रथम पाँच माह हेतु (अप्रैल से अगस्त, 2017) हेतु लेखानुदान रू0 960.91 लाख एवं शासनादेश संख्या-23/2017/650/74-2-2017-11(ब)/2017 दिनांक 23.08.2017 द्वारा अवशेष सात माह हेतु रू0 1382.68 लाख इस प्रकार कुल रू0 2343.59 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुयी है। उक्त स्वीकृत धनराशि में से रू0 5,26,60,000.00 (रूपये पांच करोड छब्बीस लाख साठ हजार मात्र) का आवंटन संलग्नक के अनुसार निम्न शर्तो के अधीन किया जाता है:-

1. जिन मदों में धनराशि आवंटित की जा रही है उन्हीं मदों में धनराशि का व्यय की जाय अर्थात किसी भी स्थिति में मद परिवर्तन न किया जाय।
2. उक्त स्वीकृत धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व एसी स्वीकृति/सहमति निदेशालय से अवश्य प्राप्त कर ली जाए।
3. आवंटित धनराशि का नियमानुसार, जहां आवश्यकता हो, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर अथवा प्रतिनिधायन की सीमा के अन्तर्गत व्यय करना सुनिश्चित किया जाय।
4. प्रत्येक मद में आवंटित धनराशि की सीमा तक व्यय सीमित रखा जाय और इसका ध्यान रखा जाय कि दायित्वों का सृजन किसी भी दशा में न होने पाये, यदि किसी प्रकार का ऋणात्मक व्यय किया जाता है तो संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।
5. शासन द्वारा समय-समय पर मितव्यतता से संबंधित निर्गत निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाय।
6. यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे वित्तीय नियमों के अनुसार वित्तीय वर्ष के समाप्ति के पूर्व ही (दिनांक 10.03.2018 तक) निश्चित रूप से निदेशालय को समर्पित किया जाना सुनिश्चित करें।

7. आवंटित की जा रही धनराशि का भुगतान संबंधित को नियमानुसार उनके बैंक खाते में RTGS/NEFT के माध्यम से E-Payment ही किया जाए।
8. आवंटित धनराशि का उपयोग वास्तविकता के आधार पर किया जाए तथा किसी भी दशा में कोषागार से धनराशि आहरित कर बैंक खाते में न रखा जाए। यदि इस प्रकार का प्रकरण प्रकाश में आता है तो संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी जिम्मेदार होगे तथा वित्तीय अनियमितता मानते हुए आप के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
9. उक्त स्वीकृत धनराशि का सदुपयोग वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016-बी-1-02/दस-2017-231/2017 दिनांक 02.01.2017 एवं शासनादेश संख्या-8/2017-बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03.08.2017 मे दिये गये शर्तो /नियमो के अनुसार किया जाए।
10. योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृत धनराशि का सदुपयोग लक्षित प्रयोजन हेतु ही सुनिश्चित किया जाए।

आवंटित धनराशि का आहरण चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान सं0-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्व विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के लेखाशीर्षक 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-001-निदेशन एवं प्रशासन-आयोजनेत्तर-03-अधिष्ठान व्यय रेशम निदेशालय के नामे डाला जायेगा। इस आवंटन की प्रविष्टि अनुदान सं0-10 के वर्ष 2017-18 के आवंटन पंजिका के पृष्ठ-05 पर कर ली गई है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

28/08/17
(अनिल कुमार यादव)
निदेशक(रेशम)

पत्रांक 022 सेरी0/लेखा/आयो0 बजट/2017-18 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. वरिष्ठ आडिट आफिसर(आडिट प्लानिंग), कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा भवन-15-थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5. कैम्प निदेशक, रेशम, मुख्यालय-लखनऊ।
6. उप निदेशक, रेशम मुख्यालय-लखनऊ।
7. व्यय सहायक एवं वरिष्ठ आडिटर, मुख्यालय लखनऊ।
8. प्रोग्रामर/कम्प्यूटर अनुभाग, रेशम निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से कि उपरोक्त को वेबसाइट पर अपलोड एवं ई-मेल कर दे।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

(अमितोष श्रीवास्तव)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

पत्रांक 022 /सेरी0/लेखा/आयो0 बजट/2017-18 दिनांकः: 28 अगस्त, 2017 का अनुलग्नक

अनुदान सं0- 10- कृषि तथा अन्य सम्बद्व विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)

2851- ग्राम तथा लघु उद्योग-001-निदेशन तथा प्रशासन-आयोजनेत्तर

03-अधिष्ठान व्यय, रेशम निदेशालय के अर्न्तगत वर्ष 2017-18 के प्रथम 05 माह हेतु आवंटित धनराशि का विवरण

(धनराशि रू0 मे)

क0सं0	आहरण एवं वितरण अधिकारी का पदनाम	जनपद	कोषागार का नाम	आवंटित धनराशि					पूर्व में योजना के अर्न्तगत आवंटित धनराशि का योग	प्रगामी योग
				वेतन 01	मंहगाई भत्ता 03	अन्य भत्ते 06	पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय) 52	योग		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	उप निदेशक (रेशम)	मुख्यालय लखनऊ	जवाहर भवन लखनऊ	38713000	1335000	1043000	11569000	**52660000**	46307500	98967500
	योगः-			**38713000**	**1335000**	**1043000**	**11569000**	**52660000**	**46307500**	**98967500**

(रूपये पांच करोड छब्बीस लाख साठ हजार मात्र)

तेरह अंको का कोड नम्बर

2	8	5	1	0	0	0	0	1	0	3	0	0

(अमितोष श्रीवास्वत)

वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी